



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



25 फाल्गुन, 1945 (श०)

संख्या - 162 राँची, शुक्रवार,

15 मार्च, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

25 जनवरी, 2024

संख्या-5/आरोप-1-32/2023-20671 (HRMS)--श्री मनोज कुमार तिवारी, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-486/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पाटन, पलामू के विरुद्ध ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-3170 दिनांक 02.08.2023 के माध्यम से उपायुक्त, पलामू के पत्रांक-492 दिनांक 29.05.2023 द्वारा आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया। आरोप पत्र में इनके विरुद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किये गये-

1. प्रखण्ड कार्यालय पाटन में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के पद पर रहने के दौरान वर्ष 2022-23 में मनरेगा योजना अंतर्गत ग्राम पंचायत-हिसरा बरवाडीह में पशु शेड की योजना का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण में मनरेगा आयुक्त, झारखण्ड राँची के पत्रांक-154 दिनांक 03.02.2021 एवं उपायुक्त, पलामू के पत्रांक-159 दिनांक 11.02.2021 के निदेश का उल्लंघन करते हुए प्रत्येक पंचायत में 05 (पाँच) पशु शेड की योजना का क्रियान्वयन के अनदेखी एवं स्वेच्छाचारिता तथा मनमानी करते हुए लापरवाही के साथ 01 (एक) पंचायत-हिसरा बरवाडीह में कुल 401 पशु शेड की योजना क्रियान्वित की गयी, जो प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पाटन के अनुश्रवण के दायित्व में लापरवाही का द्योतक है।

2. प्रखण्ड पाटन के पंचायत हिसरा बरवाडीह में मनरेगा अंतर्गत 401 पशु शेड के क्रियान्वयन होने एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पाटन द्वारा अनुश्रवण में लापरवाही के लिए उपायुक्त, पलामू के ज्ञापांक-759 दिनांक 28.11.2022 द्वारा कारण पृच्छा की गयी थी, जिसका जवाब असंतोषजनक है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पाटन द्वारा समय पर अनुश्रवण कर पशु शेड की योजना की स्वीकृति एवं क्रियान्वयन होने के मामले को रोकी जा सकती थी। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पाटन द्वारा अनुश्रवण में लापरवाही का द्योतक है।

3. श्री मनोज कुमार तिवारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पाटन प्रखण्ड द्वारा मुख्य प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी के अनुश्रवण का दायित्व में अभाव को प्रदर्शित किया गया, जिससे अयोग्य लाभुकों को भी पशु शेड योजना का लाभ दिया गया था तथा 401 पशु शेड की योजना ली गयी।

उक्त आरोपों पर श्री तिवारी के पत्रांक-1843 दिनांक 10.08.2023 द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत उनके विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के तहत असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड प्रस्तावित करते हुए विभागीय पत्रांक-5562, दिनांक 04.10.2023 द्वारा उनसे द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गयी है।

उक्त के अनुपालन में श्री तिवारी के पत्र, दिनांक 26.10.2023 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित किया गया है, जिसमें इनके द्वारा निम्न तथ्यों का उल्लेख किया गया-

1. मनरेगा में पायी जानेवाली अनियमितता तथा कानून के उल्लंघन पर सुझावी कार्रवाई हेतु ग्रामीण विकास विभाग के मार्गदर्शिका का०आ० संख्या-(N) 192, दिनांक 07.12.2017 के पेज 4-14 पर अंकित विषय-योजना चयन और क्रियान्वयन संबंधित मुद्दा- 3.4 पर व्यक्तिगत योजना के लिए अयोग्य लाभुक का चयन करने पर दोषी कर्मियों पर किये जाने वाले कार्रवाई में दंड में ज्यादा से ज्यादा दंड संबंधित कर्मियों से भुगतान की गई राशि वसूली का प्रावधान है। उक्त मार्गदर्शिका का उल्लेख उप निदेशक पंचायत राज, झारखण्ड के पत्रांक-1585 दिनांक 07.07.2023 में भी है।

उक्त मार्गदर्शिका निर्गत होने के समय एवं उसके बाद दिनांक 22.02.2019 को ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-(N)609 निर्गत होने के पूर्व तक 10.00 (दस) लाख रुपये तक की योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्र०वि०पदा० द्वारा किये जाने का प्रावधान होने के कारण प्र०वि० पदा० से भी राशि वसूली का प्रावधान था। परंतु वर्णित आदेश निर्गत होने के बाद 05 (पाँच लाख) रुपये प्राक्कलित राशि तक की योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत की कार्यकारिणी समिति द्वारा दी जाती है एवं पाटन प्रखंड के हिसराबरवाडीह पंचायत में भी सभी 401 पशु शेड योजनाओं (सभी का प्रा० राशि 5.00 लाख से कम की है) की प्रशासनिक स्वीकृति ग्राम पंचायत की कार्यकारिणी द्वारा दिया गया है। तदनुसार, उप विकास आयुक्त-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक, पलामू के पत्रांक-137, दिनांक 06.02.2023 एवं पत्रांक-307, दिनांक 29.03.2023 के आलोक में कुल 401 पशु शेड में अयोग्य पाये गये 174 शेड में कुल भुगतान की गयी 520860 रुपये का 12% ब्याज के साथ 583363 रुपये संबंधित दोषी कर्मियों से वसूली हेतु उनके ज्ञापांक-545, दिनांक 28.02.2023 निर्गत किया गया। राशि जमा नहीं करने पर राशि वसूली हेतु उनके पत्रांक-1098, दिनांक 21.04.2023 एवं पत्रांक-1199, दिनांक 08.05.2023

द्वारा नीलाम पत्र दायर करने हेतु जिला निलाम पत्र पदाधिकारी, पलामू को पत्र प्रेषित किया गया। सिर्फ मुखिया द्वारा निर्धारित राशि 83337.00 रुपये जमा करने के कारण अन्य से शीघ्र वसूली हेतु उनके पत्रांक-2063, दिनांक 11.09.2023 द्वारा स्मार पत्र भी भेजा गया। उनके पत्रांक-543, दिनांक 28.02.2023 के द्वारा 174 अयोग्य शेडों का Delete करने एवं 227 योग्य लाभूको का शेड निर्माण हेतु उप विकास आयुक्त, पलामू से मार्गदर्शन भी माँगा गया था, जो उनके प्र०वि०पदा०, पाटन के रूप में दिनांक 12.10.2023 तक अप्राप्त था। कुल 401 पशु शेडों में किसी में भी सामग्री मद में कुछ भी राशि भुगतान नहीं किया गया था।

2. 05 (पाँच) लाख तक की योजनाओं के चयन एवं भुगतान में अहम भूमिका निभाने वाले ग्राम पंचायत कार्यकारिणी के अध्यक्ष मुखिया श्री जयशंकर प्रसाद को आरोप मुक्त कर दिया गया है। इसमें भी 90 पंचायतों (12 प्रखंडों के) में अनुमान्यता से अधिक पशु शेड का उल्लेख किया गया है। श्री अरूण कुमार सिंह, संयुक्त सचिव ग्रामीण विकास विभाग के ज्ञापन-386(N), दिनांक 14.03.2023 से स्पष्ट है कि अनुमान्यता से अधिक मनरेगा के तहत पशु शेड पलामू जिला ही नहीं, बल्कि पूरे झारखण्ड राज्य में स्वीकृत किये गये हैं। ग्रामीण विकास विभाग की मार्गदर्शिका एवं उप विकास आयुक्त, पलामू के निदेशानुसार विषयगत मामले में सभी शेड के अयोग्य लाभूकों (174) को भुगतान गई राशि की वसूली दोषी कर्मियों से (12% ब्याज के साथ) करने की कार्रवाई उनके द्वारा की गई है। मुख्य आरोपी मुखिया को आरोप मुक्त कर दिया गया है एवं पलामू जिला के 13 प्रखण्डों (90 पंचायतों), झारखण्ड राज्य के सभी जिलों के अधिकतम प्रखण्डों में अनुमान्यता से अधिक पशु शेड स्वीकृत किये गये हैं। फिर भी पलामू के अन्य 12 प्रखण्डों एवं राज्य के अन्य जिलों के प्रखण्डों के प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को छोड़कर सिर्फ उनके विरुद्ध असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि का दण्ड देना मनरेगा मार्गदर्शिका के विरुद्ध, उनके साथ भेदभाव एवं पक्षपातपूर्ण होगा, जिससे निष्पक्षता भी प्रभावित होगी।

श्री तिवारी के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं उनके द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि श्री तिवारी द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा में समर्पित है कि हिसरा बरवाडीह पंचायत के सभी 401 पशु शेड योजनाओं (सभी का प्रा० राशि 5.00 लाख से कम की हैं) की प्रशासनिक स्वीकृति ग्राम पंचायत की कार्यकारिणी द्वारा दिया गया है। 401 पशु शेड योजना में से 174 अयोग्य लाभूकों को भुगतान गई राशि की वसूली (12% ब्याज के साथ) करने हेतु उनके पत्रांक-1098, दिनांक 21.04.2023 एवं पत्रांक-1199, दिनांक 08.05.2023 द्वारा नीलाम पर दायर करने हेतु जिला निलाम पत्र पदाधिकारी, पलामू को पत्र प्रेषित किया गया है। 401 पशु शेडों में किसी में भी सामग्री मद में कुछ भी राशि भुगतान नहीं किया गया था। उक्त 401 पशु शेड की योजना स्वीकृत करने वाले मुख्य आरोपी हिसरा बरवाडीह पंचायत के मुखिया को आरोप मुक्त कर दिया गया है। मनरेगा अन्तर्गत लाभूकों का चयन एवं सत्यापन ग्राम सभा एवं तत्पश्चात् ग्राम पंचायत कार्यकारिणी द्वारा किया जाता है। समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा अनुसार इसमें प्रखण्ड विकास पदाधिकारी की भूमिका नहीं है। प्रश्नगत योजनाओं की स्वीकृति पंचायत कार्यकारिणी द्वारा दी गई है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा स्वीकार योग्य है, परन्तु इसके पश्चात् भी इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता है कि संबंधित पंचायत में निर्धारित संख्या से अधिक संख्या में पशु शेड योजनाओं का प्रशासनिक स्वीकृति संबंधित पंचायत कार्यकारिणी द्वारा दिये जाने के क्रम में इनके द्वारा उचित पर्यवेक्षण एवं दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया है।

अतः समीक्षोपरांत, श्री मनोज कुमार तिवारी, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पाटन द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा में समर्पित तथ्यों एवं साक्ष्यों के आलोक में द्वितीय कारण पृच्छा को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए उनके विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के तहत निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री मनोज कुमार तिवारी, झां०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	MANOJ KUMAR TIWARI JHK/JAS/235	श्री मनोज कुमार तिवारी, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पाटन द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा में समर्पित तथ्यों एवं साक्ष्यों के आलोक में द्वितीय कारण पृच्छा को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए उनके विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के तहत निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,

सरकार के संयुक्त सचिव।

जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/3601

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,

झारखण्ड गजट (असाधारण) 162 - 50